ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
स्व वाद संख्या : 60/2016
MS NO. : 2016/00541

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. मोहन पुत्र मिसरू के का0मु0
   1/1. सीतादेवी पत्नी मोहन
   1/2. राजूराम पुत्र मोहन
   1/3. सुरेन्द्र पुत्र मोहन
   1/4. भरत पुत्र मोहन
2. नाथू पुत्र प्रभू
3. भैरू पुत्र हरलाल
   जाति– मेघवाल
4. ढगलाराम पुत्र धूलदास के का0मु0
   4/1. सजनीदेवी पत्नी ढगलाराम
   4/2. हनुमान पुत्र ढगलाराम
   4/3. विष्णु पुत्र ढगलाराम
   जाति– कामड़, सभी निवासीगण– रास, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।

1. सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ
2. सरदारनाथ पुत्र सोहननाथ
   जाति– कालबेलिया, निवासी– रास तहसील– जैतारण, जिला पाली राज0।
3. तहसीलदार तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.18.03.2016**

परिस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 04/03/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम में वर्तमान जमाबन्दी में ख0न0 315/2 रकबा 03–18 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि स्थित है। जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम जमाबन्दी में दज्र है। जो एक गलत इन्द्राज चला आ रहा है। जो काबिल दुरूस्त के है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2070 की संलग्न है। सरहद मौजा रास प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 315/2 रकबा 03–18 बीघा कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या एक ने जरिये विक्रय विलेख के वादी संख्या 1/1 के पिता वादी संख्या 1/2 से 1/4 के पिता वादी संख्या तीन व चार तथा वादी संख्या 4/1 के पिता वादी संख्या 4/2 से 4/3 के पिता तथा शंकर पुत्र हीरा पुत्र लिछमण ढाढ़ी से प्रतिफल का राशि 40,000 रूपये अक्षरे चार हजार रूपये प्राप्त कर दिनांक 29.06.1985 को विक्रय कर दी व मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी संभाला दिया तब से क्रय की गई कृषि भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है व उपयोग उपभोग कर रहे है। नकल विक्रय विलेख दिनांक 29.06.1985 की पेश है। वादीगण ने तत्कालीन रेवेन्यू एजेन्सी पटवारी आरआई को अपने द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री की नकल दे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तब रेवेन्यू एजेन्सी ने कहा कि तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज कर देगें। ...कार वादीगण अनपढ होनें से व कानूनी जानकारी नहीं होनें से निश्चित हो गये हमारा नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया है। वादीगण द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि पर ...ले 30 वर्ष 09 माह से शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के निरन्तर रूप से काबिज ...र काश्त करते है उक्त भूमि जो कि पूर्व में उबड़ खाबड़ पत्थरीली थी जिस पर ...खों रूपयें खर्च कर मिट्टी डालकर उपजाऊ व कीमती बनाया चारों और पत्थरों की ...ार की व विकास किया। इस कृषि भूमि पर होनें वाली आय से अनाज हेतू भण्डारण ...ुओं के लिये काउशेड अपने लिये रहवास आदि बनाये। उक्त सम्पूर्ण बातो की ...नकारी प्रतिवादी संख्या एक को चली आ रही है। वादीगण की भूमि पर दिनांक 10. ...3.2016 को प्रतिवादीगण मौके पर आये व वादीगण को उक्त भूमि को खाली करने कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी व यह भी कहा कि उक्त भूमि में तुम्हारा नाम ...माबन्दी में दर्ज नही है तथा हम कब्जा करेगे, तब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड देखा तब ...न तथ्यो की जानकारी हुई कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। प्रतिवादी ...या एक द्वारा वादीगण को वादपत्र मे वर्णित कृषी भूमि बेचान करने के बाद भी पुनः ...ारा प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या दो जो कि उसका पुत्र है उससे उक्त ...सरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 04.03.2016 को उपपंजीयन कार्यालय ...तारण मे आकर बेचान रजिस्ट्री भी निष्पादित करवा दी। वादीगण को उक्त कथनो की ...नकारी भी बाद में मिली । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण के साथ ...मूल्य आराजी को हडपने की नियत से दुबारा अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या दो को बेचान ...जेस्ट्री करवा दी व धोखाधडी की, तब वादीगण ने यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के ...षणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादीगण का अपने द्वाराकय कीगयी भूमि जमाबन्दी मे नाम दर्ज नही होता है तो व प्रतिवादी संख्या एक मात्र लाठी के बल ...र वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण अपने ...ायज हक व अधिकारो से महरूम होगे असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूति किसी ...रत मे संभव नही हो सकेगी। इसलिए उपरोक्त कारणो से वादीगण ने अपने द्वारा कय ...ी गयी भूमि में अपने हिस्से तक अपना नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। ...सके अतिरिक्त भी प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण को ज्योही अपनी कृषि भूमि को ...चान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी तब से ही कानूनन यह उपधारणा मानी जाती है कि विक्रेता द्वारा बेचान की गयी भूमि पर क्रेता आसीन हो गये है व उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है। वादपत्र मे वर्णित भूमि के क्रेता शंकरलाल ने प्रतिवादी के विरुद्ध श्रीमान् के न्यायालय मे एक वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का व एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 04/2016 अनवान शंकरलाल बनाम सोहननाथ वगैरा का प्रस्तुत कर रखा [illegible] टी आई प्रार्थनापत्र मे श्रीमान् द्वारा सुनवाई कर उक्त भूमि बाबत अ[illegible]मी [illegible]देश तक कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करने व मौके पर रा[illegible] बनाये रखने हेतु का भी आदेश दिनांक 13.01.2016 को पारित किया नकल आदेश पेश है। उक्त कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री के क्रेता मोहनलाल मेघवाल व छगन[illegible] कामड की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को बतौर वादीगण पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष मे उक्त भूमि बाबत् बेचान दिनांक 04.03.2016 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ादित किया उस बेचान रजिस्ट्री को प्रतिवादी संख्या दो प्रतिवादी संख्या तीन के पेश करे तो क्रेताके पक्ष मे म्युटेशन स्वीकृत नही करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के जावे। बिनाय वाद दिनांक 10.03.2016 को प्रतिवादी संख्या एक वादीगण के कय भूमि पर आये व कहा कि उक्त भूमि जमाबन्दी में हमारे नाम दर्ज है तथा तुम्हे से बेदखल करेगे तथा वादीगण को यह भी जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष मे बेचान रजिस्ट्री निष्पादित कर दी तब बमुकाम रास म तहसील जैतारण मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र मे है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। वादीगण को वकालतनामा एवं जवाब दावा प्रस्तुत करनें के पर्याप्त एवं अनेकानेक सर देने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करनें से जवाबदावा बन्द किया गया।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक लोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार चन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

प्रतिवादी संख्या 01 सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ द्वारा ग्राम रास प्रथम के खसरा ख्या 315/2 की खातेदारी आराजी रकबा 03-18 बीघा किस्म बारानी दोयम जरिये ीकृत विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 29.06.1985 को वादी संख्या 1/1 के पति तथा 2 से 1/4 के पिता, वादी संख्या 03 व 04 तथा 4/1 के पति व 4/2 से 4/3 के ता तथा शंकर पुत्र हीरा तथा हीरा पुत्र लिछ्मण दाढ़ी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर या जाने के बावजूद तहसीलदार जैतारण द्वारा नामान्तरण नहीं खोले जाने तथा भू भिलेख में बतौर खातेदार प्रविष्टि नहीं कि गई तथा तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 हननाथ पुत्र गुलाबनाथ द्वारा भू अभिलेख में अपने दर्ज नाम का गलत फायदा उठाते ये दिनांक 04.03.2016 को उपपंजियन कार्यालय जैतारण में उक्त आराजी को अपने त्र एवं प्रतिवादी संख्या 02 सरदारनाथ पुत्र सोहननाथ को बैचान कर दी गई। के ारण विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् हस्तगत वाद यालय हाजा में प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की इस्तदुआ की।

. वादग्रस्त आराजी ग्राम रास प्रथम की जमाबन्दी संवत 2069-2072 प्रदर्श P-1 के नुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 315/1 रकबा 03-18 बीघा किस्म बारानी ोयम में सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ कौम कालबेलिया दर्ज है।

3. वादग्रस्त आराजी का मूल पंजीकृत विक्रय विलेख प्रदर्श P-2 दिनांक 29.06.1985 द्वारा उपपंजियक जैतारण के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ निवासी ग्राम रास तहसील जैतारण द्वारा अपने खातेदारी आराजी ग्राम रास प्रथम तहसील जैतारण के खसरा संख्या 315/1 रकबा 03-18 बीघा किस्म बारानी दोयम का वादीगण/क्रेतागण क्रमशः 1. मोहन पुत्र मिसरू, 2. ना[illegible] पुत्र [illegible], 3. भैरु पुत्र हरलाल, 4. हरलाल पुत्र संग्राम, 5. ढगलाराम पुत्र धन्नदास, 6. [illegible] पुत्र नाथू दास कामड़ 7. शंकर पुत्र हीरा, 8. हीरा पुत्र लिछमण [illegible] [illegible]पुरा तहसील जैतारण को समान हिस्सों के अनुसार जरिये पंजीकृत बैचाननामा दिनां[illegible] 29.06.1985 को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदार सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ से वादग्रस्त आराजी क्रय कर लेने से खातेदारी अधिकार वक्त क्रय से क्रेतागण अर्थात वादीगण में निहित हो चुके है तथा वादी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का कानूनन अधिकारी है। विक्रय के पश्चात भू अभिलेखीय प्रविष्टि के आधार पर किया गया पश्चातवर्ती अन्तरण/विक्रय म्भतः शुन्य होता है जो पूर्ववर्ती के क्रेता के हक एवं अधिकारों के विरुद्ध निस्प्रभावी है। अतः प्रतिवादी सोहननाथ द्वारा दिनांक 04.03.2016 को अपने पुत्र के पक्ष में या गया पश्चात्वर्ती अन्तरण वादीगण के विरुद्ध प्रभाव शुन्य है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है वाद वादी बखूबी साबित होता है तथा वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पंजीकृत विक्रय लेख द्वारा क्रय किये जाने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना कानूनन त होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार ते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील ारण जिला पाली के खसरा संख्या 315/1 रकबा 03–18 बीघा में से खातेदार हननाथ पुत्र गुलाबनाथ द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अन्तरित कर देने से तेदार सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुये इसके ान पर वादीगण/क्रेतागण क्रमशः 1. मोहन पुत्र मिसरू के का0मु0– 1/1. सीतादेवी नी मोहन, 1/2. राजूराम पुत्र मोहन, 1/3. सुरेन्द्र पुत्र मोहन, 1/4. भरत पुत्र मोहन 0 1/8, 2. नाथू पुत्र प्रभु हि0 1/8, 3. भैरू पुत्र हरलाल हि0 1/8, जातियान– वाल निवासीगण ग्राम रास, तहसील जैतारण 4. ढगलाराम पुत्र धूलदास के का0मु0 /1. सजनीदेवी पत्नी ढगलाराम, 4/2. हनुमान पुत्र ढगलाराम, 4/3. विष्णु पुत्र गलाराम, हि0 1/8 जातियान– कामड़, निवासीगण रास, तहसील जैतारण 5. हरलाल त्र संग्राम हि0 1/8, 6. धूलदास पुत्र नाथू दास जाति– कामड़ निवासी– रास हि0 /8, 7. शंकर पुत्र हीरा हि0 1/8, 8. हीरा पुत्र लिछमण हि0 1/8 जाति– दाढ़ी सी दयालपुरा तहसील जैतारण को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, हसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल रामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। त्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को सर–ए–इजलास

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

[इज]लास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. मोहन पुत्र मिसरू के का0मु0
   1/1. सीतादेवी पत्नी मोहन
   1/2. राजूराम पुत्र मोहन
   1/3. सुरेन्द्र पुत्र मोहन
   1/4. भरत पुत्र मोहन
2. नाथू पुत्र प्रभू
3. भैरू पुत्र हरलाल
   जाति- मेघवाल
4. ढगलाराम पुत्र धूलदास के का0मु0
   4/1. सजनीदेवी पत्नी ढगलाराम
   4/2. हनुमान पुत्र ढगलाराम
   4/3. विष्णु पुत्र ढगलाराम
   जाति- कामड़, सभी निवासीगण- रास, तहसील- जैतारण जिला पाली राज0।

बनाम

1. सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ
2. सरदारनाथ पुत्र सोहननाथ
   जाति- कालबेलिया, निवासी- रास तहसील- जैतारण, जिला पाली राज0।
3. तहसीलदार तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

[दा]स्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 [ए] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 60/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व [हाज़िरी] श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री महेन्द्र [प्र]ताप जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया [जा]ता है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस [अ]मर की सादिर की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का [रास] प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 315/1 रकबा 03-18 बीघा [को] से खातेदार सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अन्तरित कर [दे]ने से खातेदार सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुये [उ]सके स्थान पर वादीगण/क्रेतागण क्रमशः 1. मोहन पुत्र मिसरू के का0मु0- 1/1. [स]ीतादेवी पत्नी मोहन, 1/2. राजूराम पुत्र मोहन, 1/3. सुरेन्द्र पुत्र मोहन, 1/4. भरत [पु]त्र मोहन हि0 1/8, 2. नाथू पुत्र प्रभु हि0 1/8, 3. भैरू पुत्र हरलाल हि0 1/8, [ज]ातियान- मेघंवाल निवासीगण ग्राम रास, तहसील जैतारण 4. ढगलाराम पुत्र धूलदास के का0मु0 4/1. सजनीदेवी पत्नी ढगलाराम, 4/2. हनुमान पुत्र [illegible] 4/3. विष्णु पुत्र ढगलाराम, हि0 1/8 जातियान- कामड़, निवासीगण [illegible] 5. हरलाल पुत्र संग्राम हि0 1/8, 6. धूलदास पुत्र नाथू [illegible] रास हि0 1/8, 7. शंकर पुत्र हीरा हि0 1/8, 8. हीरा पुत्र लिछमण हि0 1/8 जाति- दाढ़ी निवासी दयालपुरा तहसील जैतारण को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

द किया जावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल
हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....
सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/03/2021 को सरे
इजलास जारी किया गया ।

र

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

...ई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
...र अर्जी दावा	62-00	स्टाम्प वकालतनामा	
...म्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
...म्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
...ताना वकील		खर्चा गवाहान	
...ा गवाहान	62-00	फीस कमीशनर	
...स कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
...त ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
...जानः–	05-00	मिजानः–	–Nil–

...– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया
...ा हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested